दामोदर घाटी निगम

कार्यपालक निदेशक वाणिज्यिक का कार्यालय

दूरभाष सं. [033-2355-4917], फैक्स संख्या [033-2355-2129], ई-मेल : anayak1956@gmail.com

पंजीकृत कार्यालय : डीवीसी मुख्यालय, डीवीसी टावर्स, वीआईपी रोड, कोलकाता – 700054

वेबसाइट : [www.dvc.gov.in](http://www.dvc.gov.in)

**जन सूचना**

**डीवीसी तथा जेबीवीएनएल के बीच एक लेवल प्लेयिंग फील्ड सृजित करने के लिए एक कार्यतंत्र/रोडमैप तैयार करने बाबत झारखण्ड राज्य विद्युत विनियम आयोग, राँची के समक्ष दर्ज 2016 के मामला संख्या 10 में आम जनता तथा उपभोक्ता से मंतव्य/शिकायत/सुझाव आमंत्रण हेतु**

1. माननीय आयोग के आदेश दिनांक – 10.11.2016 के अनुपालन में, सभी को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) तथा झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) ने झारखण्ड राज्य विद्युत विनियम आयोग (जेएसईआरसी)/माननीय आयोग को एक याचिका (2016 का मामला सं.10) संयुक्त रूप से दर्ज की है ।
2. डीवीसी झारखण्ड राज्य में धनबाद, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह और चतरा जिलों में पड़ने वाले दामोदर घाटी अधिकार क्षेत्र में थोक उपभोक्ताओं को बिजली की खुदरा बिक्री एवं आपूर्ति करता है । जेबीवीएनएल उपर्युक्त सात जिलों समेत जहाँ डीवीसी भी प्रचालन में है, झारखण्ड राज्य में बिजली की आपूर्ति करने के लिए प्राधिकृत है ।
3. डीवीसी और जेबीवीएनएल दोनों ने विभिन्न कानूनी और सांविधिक व्यवस्थाओं के तहत ऐतिहासिक कदम उठाये हैं जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता मिक्स, उपभोक्ता भार, आंतसंरचना, आपूर्ति की लागत, क्रॉस सब्सिडी स्तर आदि से संबंधित डीवीसी और जेबीवीएन के बीच महत्वपूर्ण अंतर आया है । इन अंतरों से आपूर्ति के आम क्षेत्र में डीवीसी और जेबीवीएनएल के बीच लेवल प्लेयिंग फील्ड में विरूपण पैदा हुआ है । अपनी भौगोलिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय रूपरेखा पर विचार करते हुए राज्य के समग्र आर्थिक और सामाजिक विकास पर भी इसका महत्वपूर्ण असर है ।
4. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, डीवीसी और जेबीवीएनएल ने एक उपयुक्त कार्यतंत्र विकसित करने के लिए माननीय आयोग से पहल की है जिसके द्वारा लेवेल प्लेयिंग फील्ड में ऐसे विरूपण को इस बीच की अवधि के दौरान जब डीवीसी सभी वोल्टेज स्तर पर भार वृद्धि संभाव्यता सहित अपने अधिकार क्षेत्र में अपने वितरण कार्यजाल के विकास की प्रक्रिया में है, लेवेल प्लेयिंग फील्ड में ऐसे विरूपण को रोका जा सके । प्रस्तावित संभावित कार्यतंत्रों में से एक है डीवीसी और जेबीवीएनएल के आम आपूर्ति क्षेत्र में अवस्थित सभी उच्च वोल्टेज उपभोक्ताओं पर एक विनियम अधिभार लगाना और जेबीवीएनएल हेतु क्रॉस सब्सिडी बोझ को पूरा करने के लिए इस राशि का उपयोग करना, माननीय आयोग ने डीवीसी और जेबीवीएनएल द्वारा विद्युत की आपूर्ति के आम क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाली आम जनता/उपभोक्ताओं से मंतव्य/शिकायत/सुझाव आमंत्रित करने के लिए सूचना जारी करने तथा कोई कार्य पद्धति विनिर्धारित और आदेश पारित करने के पहले उन्हें सुनने का निर्देश दिया है । 2016 के मामला संख्या 10 में किये गये अनुरोध निम्नानुसार हैः
5. *वर्तमान याचिका स्वीकार करना;*
6. *आपूर्ति के उनके आम क्षेत्र में विद्युत के वितरण में स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा प्रोन्नत करने के क्रम में याचिकाकर्ताओं के बीच लेवल प्लेयिंग फील्ड सृजित करने के लिए कार्यतंत्र/रोडमैप तैयार करना जिससे कि अधिक से अधिक उपभोक्ताओं के हितों को दिग्दर्शित किया जा सके;*
7. *ऐसे अन्य/अगले आदेश(शों) जारी करना जिसे माननीय आयोग वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उपयुक्त विचार कर सके ।*
8. 2016 के मामला सं. 10 में अनुलग्नक सहित याचिका की प्रति डीवीसी के वेबसाइट यथा; [www.dvc.gov.in](http://www.dvc.gov.in) एवं जेबीवीएनएल यथा; [www.jbvnl.co.in](http://www.jbvnl.co.in) पर उपलब्ध हैं तथा वहाँ से डाउनलोड की जा सकती है ।
9. समर्थित दस्तावेज सहित, 2016 के मामला सं. 10 में मंतव्य/शिकायत/सुझाव सचिव, झारखण्ड राज्य विद्युत विनियम आयोग, 2तीय तल, राजेंद्र जवान भवन-सह-सैनिक बाजार, महात्मा गांधी मार्ग (मेन रोड), रांची-834001 को व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक से, जो इस सूचना के प्रकाशन के छह सप्ताह के अंदर पहुँच सके, भेजा जा सकता है । इसकी प्रतिलिपि कार्यपालक निदेशक (वाणिज्यिक), दामोदर घाटी निगम, 1थम तल, डीवीसी टावर्स, वीआईपी रोड, कोलकाता-700054 तथा मुख्य अभियंता (सी एण्ड आर), झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, अभियंत्रण भवन, एच.ई.सी., धूर्वा, रांची-834004 को भी भेजी जाए एवं इसका सेवा प्रमाण सचिव, झारखंड राज्य विद्युत विनियम आयोग को की गयी फाइलिंग में भी अवश्य संलग्न किया जाए ।
10. जेएसईआरसी को शिकायत सात प्रतियों में फाइल की जाए तथा शिकायत भेजने वाले व्यक्ति का पूरा नाम और डाक पता अवश्य उल्लेख किया जाए । अगर शिकायत किसी संगठन या किसी उपभोक्ता वर्ग या उपभोक्ता ग्रुप के पक्ष में दर्ज की जाती है तो इसे भी उल्लेख किया जाए । अगर शिकायतकर्ता व्यक्तिगत रूप से सुनवाई चाहता हो तो इसका भी उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जाए ।

दामोदर घाटी निगम

दिनांक 14.12.2016